P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue-XII*August-2016

उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन का स्वरूप और चूरू जिले की हवेली–सम्पदा के संरक्षण की आवश्यकता

सुरेन्द्र डी.सोनी
व्याख्याता,
इतिहास विभाग,
राजकीय लोहिया महाविद्यालय,
चूरू,राजस्थान

सारांश

पर्यटन आज विश्व का सर्वाधिक सम्भावनाशील उद्योग है। साथ ही यह सभ्यता और संस्कृति के प्रसार का भी अद्‌भुत माध्यम है। पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के कारण कुछ ऐसे पर्यटन–स्थल उपेक्षित पड़े हैं, जिनको यदि विकसित किया जाए, तो वे इतिहास की रचना के मूल स्रोतों के रूप में उजागर हो सकते हैं। साथ ही वे स्थानीय लोगों की आय का भी अच्छा साधन हो सकते हैं। इस रूप में पर्यटन–स्थलों को एक उत्पाद के रूप में बदलने के लिए विगत दो दशकों से विश्व–स्तर पर उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन (Responsible Tourism) के सिद्धांतों पर चलने के लिए जोर दिया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों और स्टैकहोल्डरों के लिए कुछ निर्देशक–तत्व निर्धारित किए गए हैं। इन निर्देशक–तत्वों के प्रकाश में राजस्थान के चूरू जिले में व्यावसायिक घरानों द्वारा बनाई हुई हवेलियाँ, जो नष्ट होने के कगार पर हैं, अगर बचा ली जाएँ तो पर्यटन के माध्यम से इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित हो सकते हैं।

मुख्य शब्द : उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन, हवेली, सेठ, हवामहल, लू।

प्रस्तावना

इक्कीसवीं सदी में अन्तरराष्ट्रीयता के प्रतिमान बदल चुके हैं। जो राष्ट्र आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित होना चाहते हैं, वे अन्य राष्ट्रों के साथ अपने सम्बंधों का निर्धारण 'पर्यटन' को केंद्र में रखकर करने लगे हैं। अब दुनिया यह समझने लगी है कि पर्यटन, हर स्थिति में, न्यूनतम निवेश करके अधिकतम धन कमाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पर्यटन अब पूर्णतया एक उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। इसलिए संसाधनों के एक सीमा से अधिक दोहन किए जाने का दुष्प्रभाव भी इस उद्योग पर पड़ा है। पर्यटन का उद्योग होना बिलकुल बुरा नहीं है। बुरा तो मुनाफे के लालच आकर लोगों द्वारा इसे इतना निर्मम बना देना है, जिससे देशों के सांस्कृतिक मूल्यों को क्षति पहुँचने लगी है।

उद्देश्य

यह सिद्ध करना कि उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन के सिद्धांतों पर चलकर चूरू जिले की हवेली–सम्पदा को वचाया जा सकता है। इससे इतिहास के मूल स्रोत सुरक्षित होंगे और पर्यटन से होने वाली आय से स्थानीय लोगों का जीवन–स्तर सुधरेगा।

उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन का स्वरूप और हवेलियों के संरक्षण की आवश्यकता

समाज–वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अन्य कार्यों के साथ पर्यटन के माध्यम से, पर्याप्त धनार्जन करते हुए, इतिहास के उन गरिमामय पृष्ठों को प्रकाशित किया जाना चाहिए, जिनसे यह ज्ञात हो सके कि हमारे पूर्वज किस तरह के सामाजिक ताने–बाने में अपना जीवन व्यतीत करते थे। आवास–व्यवस्था भी इसी सामाजिक ताने–बाने का एक भाग है। इतिहास पर नजर डालें, तो भारतीयों की आवास–व्यवस्था झोंपड़ियों से प्रारम्भ हुई है और महल–दुमहलों पर आकर रुकी है। हवेलियाँ इनके बीच में कहीं खड़ी हैं।

समाज का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जिसमें परिवर्तन या विकास से सम्बन्धित घटनाएँ इतिहास न बन सकती हों। विश्व में पर्यटन अब जिस रूप में रूपायित हो रहा है, वह निश्चय ही समाजी व्यवस्था में परिवर्तन और विकास का प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत बनेगा। इसलिए पर्यटन की अवधारणा को इस तरह व्याख्यायित किया जाना चाहिए कि आने वाली नस्लें अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ों से न केवल कटें नहीं, बल्कि वे एक बहुसांस्कृतिक और बहुसामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस करती हुई बड़ी हों। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि धरोहरों के संरक्षण में उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन के सिद्धांतों पर चला जाए।इस सम्बंध में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने पर्यटन के क्षेत्र में जो मानदण्ड निर्धारित किए हैं,उनका अध्ययन करने से स्पष्ट

होता है कि ऐतिहासिक इमारतें विरूप न हों, यह अपेक्षा पर्यटकों से अधिक है और स्टैकहोल्डरों से कम है। इस सम्बंध में पर्यटकों से अपेक्षा करना असंगत नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय जन–समुदाय और प्रशासन का सावचेत होना भी बहुत जरूरी है।

उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन की की आधारभूत मान्यता है को कि पर्यटकों के आने से किसी क्षेत्र–विशेष की सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय स्थिति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े और स्थानीय लोगों के लिए अधिकाधिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएँ। साथ ही जो पर्यटक किसी स्थल–विशेष की ओर अभिगमन कर रहे हैं, उनके लिए रहने–सहने की अच्छी सुविधाएँ भी विकसित हों।

हवेलियाँ उन लोगों की आवास–इकाइयाँ रहीं हैं, जिनका सम्पर्क जितना राजाओं और नवाबों से था – उतना ही आम आदमियों से था। इसलिए हवेली–पर्यटन के माध्यम से तत्कालीन समाज के उच्च, मध्यम व निचले स्तर के लोगों का इतिहास रचा जा सकता है। चूरू जिला राजस्थान के अर्द्ध–मरुस्थलीय क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है – जहाँ उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में – यहाँ के सेठों ने अनेकानेक भव्य हवेलियाँ बनवाई थीं। वर्तमान में इन हवेलियों की दशा बहुत खराब है (चित्र 01)। हवेलियाँ या तो नष्ट हो चुकी हैं या वे नष्ट होने के कगार पर हैं। हवेलियों के स्थान पर भू–व्यवसायियों ने आधुनिक मार्केट बना लिए हैं।

चित्र 01

एक ओर सामाजिक–सांस्कृतिक इतिहास के मूल स्रोत के रूप में ये हवेलियाँ अध्येताओं को शोध के नए विषय देने में पूरा तरह सक्षम हैं, तो दूसरी ओर आर्थिक वैश्वीकरण के इस युग में पर्यटकों को आकर्षित करने की भी इनमें अपार संभावनाएँ हैं। दुख का विषय है कि इनके मालिकों के व्यवसाय के सिलसिले में अपने जन्म–स्थान से दूर – मुख्यतः भारत के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी नगरों में जाकर बस जाने के कारण इनकी कोई देखभाल नहीं हो पाई। अपने वास्तु, चित्रकला और भीतरी विन्यास के कारण प्रबल संभावना है कि इनसे पर्यटन की एक नई शाखा 'हवेली–पर्यटन' खुल जाए। यह 'हवेली–पर्यटन' सांस्कृतिक पर्यटन का ही एक घटक होगा। सांस्कृतिक पर्यटन एक तरह से उत्पादक भी है और उत्पाद भी है, इसलिए वह किसी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहाँ विकास का मतलब है – संस्कृति व धरोहर से जुड़ी हुईं नई व लाभकारी गतिविधियों का न केवल प्रचार–प्रसार करना, अपितु इनके माध्यम से पर्यटन का सुरक्षित व अनुकूल वातावरण भी तैयार करना। विश्व पर्यटन संगठन (WTO) ने भी पर्यटकों की अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त सांस्कृतिक व ऐतिहासिक स्थलों के प्रति उनके अभिगमन के महत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।

यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि किले, महल या अन्य प्रसिद्ध युद्धभूमियाँ तो ऐतिहासिक स्थल हो सकती हैं, लेकिन हवेलियाँ किस प्रकार ऐतिहासिक स्थल हो सकती हैं ? सच पूछा जाए, तो हवेलियाँ भी अन्य प्रचलित पर्यटन–स्थलों से कम ऐतिहासिक नहीं हैं। वह दौर बहुत पीछे छूट गया, जब इतिहास में महल–मालियों, युद्धों–संधियों, वीरगाथाओं – वंशावलियों का जिक्र ही प्राथमिकता से होता था। विगत अनेक दशकों से अध्येताओं में इतिहास को ऊपर से नीचे की ओर देखने की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। इस प्रवृत्ति में इतिहासकार ठीक उस जगह पहुँचता है, जहाँ अभाव से ग्रस्त और किसी भी प्रकार के राजनैतिक–सामाजिक संरक्षण से वंचित आम आदमी अपना जीवन गुजार रहा होता है।

हवेलियों में रहने वाले लोग निश्चय ही इतनी खराब आर्थिक स्थिति में नहीं रहे कि उन्हें अभावग्रस्त या निर्धन कहा जा सके, लेकिन यह भी सच है कि महलों और किलों में रहने वाले लोगों की तरह वे राजसी ऐश्वर्य भी नहीं भोग रहे थे। अपने अच्छे समय में भी हवेलियाँ बनाने वाले लोग इतने सम्पन्न नहीं थे कि वे राजसी ऐश्वर्य भोग सकें। अपने व्यापार आदि में कमाए गए मुनाफे के फलस्वरूप उनके पास इतना धन अधिशेष होता था कि वे न केवल सुखपूर्वक जीवन गुजार सकते थे, बल्कि अपने आवास हेतु सुन्दर व सुदृढ़ हवेलियाँ भी बना सकते थे। उनका आम आदमी से भी सम्पर्क कटा हुआ नहीं था।उनके द्वारा बनाई गई हवेलियों के वास्तु–विन्यास और उसकी सजावट आदि में आम आदमी के जीवन की बहुत सारी सूचनाएँ मिल जाती हैं।एक छोटा–सा उदाहरण देखें, तो तारानगर के मंत्रियों की हवेली के आँगन की दीवारों पर बने चित्रों में एक ऐसा चित्र दिखाई देता है, जिसमें पिता एक बालक को हाथ में पट्टी लेकर उसे विद्यालय छोड़ने जा रहा है (चित्र 02)।

चित्र 02

यह पिता वेश–विन्यास आदि से कोई सेठ नजर नहीं आता, बल्कि गली का आम आदमी ही दिखाई देता है। इस चित्र से किसी प्रकार की अभिजात्यता का बोध नहीं होता। इस तरह के उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि धनी व सम्पन्न होने के बावजूद हवेलियों में रहने वाले लोग आम जन–जीवन से कटे हुए नहीं थे। यद्यपि हवेलियों के वासियों ने अपना जीवन अभिजात्य रूप में ही जीया। ये हवेलियाँ आम गली–मोहल्लों से अलग कोई ऊँचे टीलों या पहाड़ियों पर भी बनी हुई नहीं थीं। यही कारण है कि हवेलियाँ अपने हर रूप में आम आदमी का इतिहास भी बयान करती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन के माध्यम से इन हवेलियों की रक्षा करके उन्हें ऐसे लोगों के लिए खोल देना जरूरी है, जो देश–विदेश में दूर–दूर तक निवास करते हैं, लेकिन उचित प्रोत्साहन मिलने पर कला, संस्कृति व इतिहास के नाम पर इन हवेलियों को देखने और इनका अध्ययन करने आ सकते हैं।

उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन में क्षेत्र के विकास के निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया बिना स्थानीय लोगों का सहयोग लिए न निर्धारित को सकती है और न ही पूर्ण हो सकती है। हवेलियों के संदर्भ में भी यह बात पूरी तरह उचित ठहरती है, क्योंकि स्थानीय व्यक्तियों के अलावा कोई और पर्यटकों को यह नहीं बता सकता कि इन हवेलियों की विशेषताएँ क्या हैं और लोग इनमें किस तरह रहा करते थे? उदाहरण के लिए यह कोई स्थानीय व्यक्ति ही बता सकता है कि अधिकतर हवेलियों में उनके मालिक के लिए एक खास कमरा बनाया जाता था, जिसे बोलचाल में 'हवामहल' कहते थे (चित्र 03)

चित्र 03

'हवामहल' – इस शब्द से ही पता चलता है कि हवेली में इस प्रकार का निर्माण खुलापन लिए हुए होगा, जिसमें हवा का प्रवाह इस तरह होगा कि इसमें बैठने वाले लोग गर्मी में राहत अनुभव करें। इस 'हवामहल' में, हवेली के स्वामी की सामाजिक–आर्थिक प्रास्थिति के अनुसार, अनेक गतिविधियाँ सम्पन्न होती थीं – जैसे आने–जाने वाले अत्यंत विशिष्ट लोगों से मिलना और मनोरंजन करना। ये 'हवामहल' हवेली के स्वामी की हैसियत के अनुसार छोटे या बड़े हुआ करते थे। इस तरह का एक छोटा–सा हवामहल रतनगढ़ में खुमाराम जोड़ा की हवेली में देखा गया। हवेली के बाहरी हिस्से में दोनों तरफ एक नहीं, बल्कि दो हवामहल बने हुए हैं, जिनमें से एक का स्वरूप अब हवामहल जैसा नहीं रहा है। वह उस हवेली में रहने वालों के लिए कबाड़खाना बना हुआ था। हवेली का दूसरा 'हवामहल' अवश्य इस हाल में बचा हुआ है कि उसे देखा जा सकता है। छोटी–छोटी सीढ़ियाँ चढ़कर जब एक 'हवामहल' का दरवाजा खोला गया, तो पता चला कि कमरे में चमगादड़ व दूसरे जीव बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। बड़ी मुश्किल से कमरे की खिड़कियाँ खोली गईं। हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि दस मिनट में ही न केवल कमरे की सारी दुर्गन्ध जाती रही, बल्कि जून की भीषण गर्मी में शरीर को अत्यन्त राहत मिली। निश्चय ही यह गर्म हवा 'लू' नहीं थी। कमरे का तापमान बाहर के तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेट से बहुत कम 18 डिग्री सेंटीग्रेट था। हवेली की संभाल कर रहे नोरतन ने बताया कि 130 साल पुरानी यह हवेली मेरे पूर्वजों की है और मेरे पास तो क्या, मुझसे पहले जो दो पीढ़ियाँ गुजरी हैं, उनके पास भी इतने संसाधन नहीं थे कि इसकी मरम्मत करवाई जा सके।

जिले में इस तरह की सैंकड़ों हवेलियाँ हैं, जो नष्ट होने के कगार पर हैं और यदि उन्हें बचाया जाता है, तो यह हमारी अमूल्य ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर को बचाना होगा। इसके लिए हमें सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व (Collective Social Responsibility, CSR) की भावना से काम करना होगा। सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के तीन मुख्य अंग हैं – उपभोक्ता की संतुष्टि, प्राकृतिक सम्पदा व सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण और विकास के लिए सकारात्मक योगदान का संकल्प। सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व की सार्थकता इसी में है कि पर्यटन–स्थल की विविधतापूर्ण सम्पदा की पूरी तरह रक्षा हो।

उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन तभी फलीभूत होगा, जब हम अच्छी नीतियों की रचना करें। इस सम्बंध में भारत सरकार की पर्यटन–नीति में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अच्छी नीतियों को समुद्र में पड़े जहाज के मलबे को उठाने की भाँति बेमन से कार्यान्वित न किया जाए। इन्टरनेशल सेण्टर फॉर रेस्पोंसिबल टूरिज्म (International Centre for Responsible Tourism, ICRT) के कैपटाऊन सम्मेलन

(2002 ई.) में उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन के उपरोक्त लक्षणों को इस रूप में प्रकट किया गया था

1. आर्थिक, पर्यावरणिक व सामाजिक दृष्टि से नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम किया जाए।
2. स्थानीय लोगों के लिए बड़े आर्थिक लाभ के अवसर उत्पन्न किए जाएँ।
3. पर्यटन–उद्योग के विकास के लिए कार्य–स्थितियों को अधिक अनुकूल बनाया जाए।
4. प्राकृतिक व सांस्कृतिक सम्पदा का पूरा संरक्षण किया जाए।
5. शारीरिक दृष्टि से चुनौती झेल रहे पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
6. पर्यटकों व स्थानीय लोगों के मध्य एक–दूसरे के आत्म–सम्मान व सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराओं को सुरक्षित रखने की तीव्र भावना का विकास किया जाए।

इन्टरनेशल सेण्टर फॉर रेस्पोंसिबल टूरिज्म (ICRT) द्वारा केरल–सम्मेलन में जारी की गई 'केरल घोषणा' (2008) आज विश्व में उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन का अनिवार्य दस्तावेज बन चुकी है।

उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन के सम्बंध में यह भी एक विचारणीय बिन्दु है कि क्या हर नवाचार हमारे देश में बाहर से स्वीकृत होकर ही आएगा, जबकि अपने पूर्वजों का सम्मान करने और उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने की हमारी परम्परा बहुत पुरानी है। इस परम्परा में क्षरण साफ–साफ दिखाई दे रहा है। सरदारशहर में एक स्थान पर पाया गया कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर स्थापित एक प्रस्तर–लेख बुरी दशा में गंदी नाली के निकट पड़ा था (चित्र 04)।

चित्र 04

जब हम गली के किनारे लगे एक प्रस्तर–लेख को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो किस आधार पर यह दावा करेंगे कि यहाँ पर्यटन–उद्योग का इतना विस्तार हो जाएगा कि संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी ही, स्थानीय लोगों का जीवन–स्तर भी उन्नत होगा। अध्ययन के दौरान बहुत कम हवेलियाँ ऐसी देखने में आईं, जिनके मालिकों ने उन्हें पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रखा है। चूरू मुख्यालय पर स्थित 'मालजी का कमरा' (चित्र 05) इसकी अच्छी मिसाल है, जहाँ एक होटल चलता है।

चूरू जिले की हवेलियाँ भित्तिचित्रों के कारण आर्ट–गैलरियों के रूप में प्रसिद्ध होने की अपार सम्भावनाएँ भी समेटे हुए हैं (चित्र 06 व 07)। हवेलियों की दीवारों पर उकेरे गए ये चित्र खास लोगों के अलावा आम लोगों के जन–जीवन, जिसका अध्ययन करना वर्तमान के इतिहासकारों का प्रिय विषय है, का इतना जीवन्त खाका खींचते हैं कि देखने वाला उनके सामने से हटना नहीं चाहता।

चित्र 05

चित्र 06

चित्र 07

सुझाव

1. हवेलियों का संरक्षण करने और उन्हें पर्यटन–उद्योग के केंद्र में लाने के लिए एक वृहत् कार्य–योजना बनाई जाए, जिसे लागू करने में स्थानीय जनों की मुख्य भूमिका हो, क्योंकि इससे प्रत्यक्ष लाभ उन्हें ही होगा।
2. इतिहास का सामाजिक–सांस्कृतिक ढाँचा खड़ा करने में हवेलियाँ आधारभूत स्रोत का काम करती हैं। वे बचेंगी, तो इतिहास बचेगा। पर्यटक, चूँकि अप्रत्यक्ष रूप से इतिहास–रचना में सहायक होते हैं, इसलिए उनको व स्थानीय लोगों को उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन के सिद्धांतों से परिचित करवाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

आधुनिक इतिहास–लेखन को समृद्ध करने में लोक–संस्कृति से बड़ा विषय कोई हो नहीं सकता। जरूरी है कि इन हवेलियों के संरक्षण की वृहत् स्तर पर कोई महत्त्वाकांक्षी योजना बने, जिसके तहत पर्यटकों व स्टैकहोल्डरों की जिम्मेदारी तय हो कि वे इन हवेलियों की रक्षा करेंगे। उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन की संकल्पना में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला प्रत्यय यह है कि हमें समझना चाहिए कि हमारी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत अनमोल है। इसका इस तरह से उपयोग हो कि एक तरफ तो पर्यटन के माध्यम से दुनिया को देखने–समझने वाले लोग इस विरासत तक पहुँचें और दूसरी तरफ इन लोगों के अभिगमन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिले।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Cooper Ilay (1987), 'Rajasthan : The Guide To Painted Towns of Shekhawati and Churu', Arvind Sharma, Churu.
2. Jose G. Vargas, Hernandez (2012), 'Sustainable and Responsible Tourism : Trends, Practices and Cases, Learning Private Limited, New Delhi.
3. Kothari C.R. (2004), 'Research Methodology: Methods & Techniques', New as International, New Delhi.
4. 'Nucleus', Biannual Journal, Vol. VII, VIII (2007, 2008), Nucleus Society of Teachers, University of Rjasthan, Jaipur.
5. अग्रवाल ओ.पी., पाठक रश्मि (2002), 'भित्ति–चित्रों की जाँच और संरक्षण' , संदीप प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. साथी राम अवतार, 'चूरू का इतिहास रू एक संक्षिप्त परिचय', शोध पत्रिका (1968), राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर।
7. राष्ट्रीय पर्यटन–नीति (2002), पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. www.churu.nic.in
9. www.ecoclub.com
10. www.ecoindia.com
11. www.gdrc.org
12. www.ichrindia.org
13. www.icrtindil.org
14. www.icrtourism.org